

## पीएम-सूरज और नमस्ते योजना

स्रोत : द हट्टि

### चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जनकल्याण' (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे।

- पीएम ने [नेशनल एकशन फॉर मैकेनाइज्ड सेनटिशन इकोसिस्टम](#) योजना के तहत सफाई मतिरों (सीवर और सेप्टिक टैंक शर्मिकों) को [आयुष्मान सवास्थय कार्ड](#) और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरित किये, जो पहले हाथ से मैला ढोने वालों ([मैनुअल स्कैवेंजर्स](#)) के लिये एक पुनर्वास योजना थी।

### पीएम-सूरज क्या है?

- 'पीएम-सूरज' राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के **सबसे वंचित वर्गों** का उत्थान करना और वंचित समुदायों के एक लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है।
  - इसे **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** एवं उसके विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- यह **पोर्टल वन-स्टॉप प्वाइंट के रूप में कार्य करता है**, जहाँ समाज के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं और उनके लिये पहले से उपलब्ध सभी ऋण एवं क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।
- पूरे देश में पहुँच सुनिश्चित करते हुए बैंकों, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्त संस्थानों (NBFC-MFI)** और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  - NBFC MFI एक **गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC** है जिसमें न्यूनतम नविल स्वामित्व वाली नधि (NOF) 5 करोड़ रुपए (देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत लोगों के लिये 2 करोड़ रुपए) है और इसकी नविल संपत्ति का कम से कम 85% "अर्हक संपत्ति (इच्छति उपयोग या बकिरी)" के रूप में है।

### नमस्ते योजना क्या है?

#### परिचय:

- नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2022 में तैयार की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
  - इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता कर्मचारियों के लिये **सुरक्षा, गरमा और सतत् आजीविका सुनिश्चित करना है**।
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिये स्व-रोजगार योजना (SRMS)** का नाम बदलकर नमस्ते कर दिया गया है।
  - SRMS योजना मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों के पुनर्वास में मदद के लिये वर्ष 2007 में शुरू की गई थी।
- नमस्ते योजना को अगले तीन वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के **4800 शहरी स्थानीय निकायों** में लागू किया जाना है।
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास नगिम** NAMASTE की कार्यान्वयन एजेंसी है।

#### उद्देश्य:

- मैनुअल स्कैवेंजर्स (MS)** और सीवर तथा सेप्टिक टैंक (SSWs) की सफाई में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास।
- प्रशिक्षित और प्रामाणित स्वच्छता कार्यकर्ताओं के माध्यम से सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की सुरक्षा एवं मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना।

#### अभीष्ट परिणाम:

- भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु।

